

1


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2015/माघ 30, 1936

No. 107]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2015/MAGHA 30, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 115(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप-धारा (7क) के खंड (ख) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (2) के खंड (ककक) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी विनिधान के बाबत निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उप-धारा (7क) के खंड (ख) के स्पष्टीकरण में है।

(घ) "साधारण अंश पूंजी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 43 में है।

(ङ) "विदेशी विनिधान उन्नयन बोर्ड" से भारत सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति में यथावर्णित विदेशी विनिधान उन्नयन बोर्ड अभिप्रेत है।

(च) "विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान" (एफडीआई) से विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अस्तित्व में रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विदेशी विनियम प्रबंधन विनियम, 2000 कहा गया है) के विनियम के उपविनियम (1) के खंड (i) के अधीन भारतीय बीमा कंपनी के साधारण शेयरों में अनिवासी अस्तित्वों या व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं तथा अन्य पात्र अस्तित्वों द्वारा विनिधान करना अभिप्रेत और सम्मिलित है।

परंतु यह कि इन नियमों के प्रयोजन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान में फेमा विनियम, 2000 के विनियम 6 के अधीन यथा अनुज्ञेय विदेशी उद्यम पूंजी विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान सम्मिलित है;

(छ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए "विदेशी विनिधानकर्ता" से इन नियमों में यथावर्णित विदेशी विनियम प्रबंधन विनियम, 2000 के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान और विदेशी पत्राधान विनिधान खिड़की के माध्यम से इस प्रकार यथा अनुज्ञेय भारतीय बीमा कंपनी के साधारण शेयरों में विनिधान करने वाले सभी पात्र अनिवासी अस्तित्वों या ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास करते हैं, अभिप्रेत हैं।

(ज) "विदेशी पत्राधान विनिधान" से विदेशी विनियम प्रबंधन विनियम, 2000 के विनियम 5 के उपविनियम (2), उपविनियम (2क), उपविनियम (3) और उपविनियम (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, विदेशी पत्राधान विनिधानकर्ता, अनिवासी भारतीय, पात्र विदेशी विनिधानकर्ता और अन्य पात्र पत्राधान विनिधानकर्ता अस्तित्वों या व्यक्तियों द्वारा किसी भारतीय बीमा कंपनी के साधारण शेयर में विनिधान अभिप्रेत और सम्मिलित है।

(झ) "भारतीय बीमा कंपनी" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उप-धारा (7क) में है।

(ञ) "भारतीय कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में "कंपनी" पद का है।

(ट) "भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय नियंत्रण" से निवासी भारतीय नागरिकों या भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में है, के द्वारा ऐसी भारतीय बीमा कंपनी का नियंत्रण अभिप्रेत है;

(ठ) "भारतीय स्वामित्व" से निवासी भारतीय नागरिकों या भारतीय कंपनियों जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में है, के द्वारा किसी भारतीय बीमा कंपनी का उसके हितबद्ध स्वामित्व में साधारण पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक है, अभिप्रेत है;

(ड) "अनिवासी अस्तित्व" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ब) में "व्यक्ति जो भारत से बाहर रहता है" पद का है;

(ढ) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा जो इसका कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (72) में है।

(ण) "निवासी भारतीय नागरिक" का वही अर्थ होगा जो इसका विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति, 2014 में है।

(त) "कुल विदेशी विनिधान" किसी भारतीय बीमा कंपनी में वह रकम होगी जो ऐसे कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान का कुल योग जो भारत सरकार की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति के पैरा 4.1.4 के साथ पठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कंपनी का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000 के अनुसरण में संगणित होगा।

(थ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं परंतु परिभाषित नहीं है तथा अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों, विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनमें हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान की मात्रा

3. कोई भारतीय बीमा कंपनी विदेशी विनिधानकर्ता द्वारा जिसमें पत्राधान विनिधानकर्ता भी सम्मिलित है द्वारा इसके साधारण शेयरों में कुल विदेशी विनिधान के माध्यम से कुल धृति ऐसी भारतीय बीमा कंपनी के संदत्त साधारण पूंजी का 49 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञात नहीं करेगा।

4. भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इसका स्वामित्व और नियंत्रण हर समय नियम 2 के खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट निवासी भारतीय संस्थाओं के हाथों में रहेगा।
 5. विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान प्रस्ताव भारतीय बीमा कंपनी की कुल संदत्त इक्विटी का 26 % तक स्वाभाविक मार्ग से अनुज्ञात किया जा सकेगा।
 6. विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान प्रस्ताव जो कुल विदेशी विनिधान भारतीय बीमा कंपनी में 26 प्रतिशत से अधिक और 49 % तक लेता है, विदेशी विनिधान उन्नयन बोर्ड के मार्ग से होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के अधीन विदेशी विनिधान उन्नयन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
 7. किसी भारतीय कंपनी में विदेशी पत्राधान विनिधान, फेमा विनियमन, 2000 के विनियम 5 के उपविनियम (2), उपविनियम (2क), उपविनियम (3) और उपविनियम (8) और भारत के प्रतिभूति विनियम बोर्ड (विदेशी पत्राधान विनिधानकर्ता) विनियम के उपबंधों द्वारा शासित होगा।
 8. किसी भारतीय बीमा कंपनी की विदेशी विनिधान की कोई वृद्धि फेमा के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मूल्य-निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसरण में होगी।
 9. विदेशी साधारण विनिधान पूंजी की 49 % की अधिकतम सीमा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अधीन नियुक्त दलाल, तृतीय पक्ष प्रशासक, सर्वे या हानि निर्धारक और अन्य बीमा मध्यवर्तियों को उपरोक्तानुसार समान निबंधनों पर लागू होगी :
- परंतु यह कि जहां कोई संस्था जैसे कि बैंक, जिसका प्राथमिक कारबार बीमा क्षेत्र के बाहर है, को बीमा मध्यवर्ती के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा, उस सैक्टर में लागू विदेशी साधारण विनिधान पूंजी की अधिकतम सीमा का ऐसी संस्था के लिए लागू रहना जारी रहेगा जिसका प्राथमिक (गैर बीमा संबंधी) कारबार से राजस्व किसी वित्तीय वर्ष में उसके कुल राजस्व के 50% से अधिक होगा।
10. किसी भारतीय बीमा कंपनी में बीमा विनिधान से संबंधित मामलों से संबंधित या सहबद्ध या निकलने वाले अन्य पक्ष, जो इन नियमों की विषय वस्तु नहीं है और प्राधिकरण की विनियामक परिधि में आते हैं सुसंगत परिनियमों और उनके अधीन बनाए गए अन्य नियमों के अनुकूल प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे।

[फा. सं. 12018/1/2006-बीमा-IV]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2015

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of Section 114 of the Insurance Act, 1938 read with clause (b) of sub-section (7A) of Section 2 of the Insurance Act, 1938 and Section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules in respect of foreign investment in Indian insurance companies, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

- (b) **“Authority”** means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (c) **“Control”** shall have the same meaning assigned to it in the explanation to clause (b) of sub-section (7A) of Section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (d) **“equity share capital”** shall have the same meaning assigned to it in section 43 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (e) **“FIPB”** means the Foreign Investment Promotion Board as described in the Foreign Direct Investment Policy of the Government of India;
- (f) **“Foreign Direct Investment” (FDI)** means and includes investment by non-resident entities/persons resident outside India and other eligible entities in the equity shares of an Indian Insurance Company under clause (i) of sub regulation (1) of regulation 5 of the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as FEMA Regulations 2000);

Provided that for the purpose of these rules, Foreign Direct Investment shall include investment by Foreign Venture Capital Investors (FVCI) as permissible under Regulation 6 of FEMA Regulations 2000;

- (g) **“Foreign Investors”** for the purpose of these rules means all eligible non-resident entities or persons resident outside India investing in the equity share of an Indian Insurance Company, as permitted to do so through the Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment windows under FEMA Regulations 2000 as described in these rules;
- (h) **“Foreign Portfolio Investment”** means and includes investments in the equity share of an Indian Insurance company by Foreign Institutional Investors, Foreign Portfolio Investors, Non Resident Indians, Qualified Foreign Investors and other eligible portfolio investor entities or persons in accordance with provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000.
- (i) **“Indian Insurance Company”** shall have the same meaning assigned to it in sub-section (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (j) **“Indian Company”** shall have the same meaning assigned to the term “Company” in sub-section (20) of Section 2 of the Companies Act 2013 (18 of 2013);
- (k) **“Indian Control of an Indian Insurance Company”** means Control of such Indian Insurance Company by resident Indian citizens or Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens;
- (l) **“Indian Ownership”** of an Indian Insurance Company means more than 50 per cent. of the equity capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens or Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens;
- (m) **“Non-resident Entity”** shall have the meaning assigned to the term “Person resident outside India” in clause (w) of Section 2 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (n) **“Public Financial Institution”** shall have the same meaning assigned to it in sub-section (72) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (o) **“Resident Indian Citizen”** shall have the same meaning assigned to it in the FDI Policy 2014;
- (p) **“Total Foreign Investment”** in an Indian Insurance Company would be the sum total of direct and indirect foreign investment by Foreign Investors in such company, calculated in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Companies) Regulations 2000 read with Para 4.1.4 of the Consolidated FDI policy of the Government of India.
- (q) All other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act and Rules, Regulations made there under shall have the same meanings respectively assigned to them.

Quantum of Foreign Direct Investment

3. No Indian insurance company shall allow the aggregate holdings by way of Total Foreign Investment in its equity shares by Foreign Investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent. of the paid up equity capital of such Indian Insurance Company.
4. An Indian Insurance Company shall ensure that its ownership and control shall remain at all times in the hands of resident Indian entities referred to in clauses (k) and (l) of rule 2.
5. The Foreign Direct Investment proposals upto 26 per cent. of the total paid up equity of the Indian Insurance Company shall be allowed on the automatic route,
6. Foreign Direct Investment proposals which take the total Foreign Investment in the Indian Insurance Company above 26 per cent. and upto the cap of 49 per cent. shall be on the FIPB route, and shall require FIPB approval subject to compliance of the provisions of the Act.
7. Foreign Portfolio Investment in an Indian Insurance Company shall be governed by the provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000 and provisions of the Securities Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations.
8. Any increase of foreign investment of an Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by Reserve Bank of India under the FEMA.
9. The foreign equity investment cap of 49 per cent. shall apply on the same terms as above to Insurance Brokers, Third Party Administrators, Surveyors and Loss Assessors and other insurance intermediaries appointed under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999):

Provided that where an entity like a Bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Authority to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e. non-insurance related) business must remain above 50 per cent. of their total revenues in any financial year.
10. Other aspects related to or associated with or flowing from matters related to Foreign Investment in an Indian Insurance Company, which are not the subject matter of these rules, and fall within the regulatory ambit of the Authority, will be regulated as per regulations to be framed by the Authority, consistent with the relevant statutes and other rules framed there under.

[F. No. 12018/1/2006-Ins. IV]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

887 GI/15-2